अति-आवश्यक (ई-मेल)
तिथिबद्ध

प्रेषक

निदेशक,
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ।

सेवा में

शिक्षण संस्थान / कालेज(एन0एस0पी0 पर रजिस्ट्रड ई-मेल)
हरियाणा राज्य में

कमांक 21561-80 /आई0टी0 / एस0जे0ई0 / 2020
चंडीगढ, दिनांक 30/10/2020

विषयः- National Scholrship Portal पर शिक्षण संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय व दिव्यांगजन के छात्रो से आवेदनों की जांच करने बारे।

उपरोक्त विषय पर विभाग के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, New Delhi भारत सरकार, द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय व **दिव्यांगजन** के छात्रों की छात्रवृति कमशः प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्स / टोप क्लास के आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30.**11.020** कर दी गई है। लेकिन वर्ष 2020-21 मे आपके शिक्षण संस्थान द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोरटल पर छात्रवृति के लिये छात्रो से आवेदन नही करवाने के कारण वर्ष 2020-21 मे छात्रवृति के आवेदन बहुत कम ही रजिस्ट्रड हुए है। विज्ञापन की छायाप्रति साथ सल्गन है। अतः आप सभी शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकीरयो से अनुरोध है किं उक्त तिथि से पहले आप अपने-2 शिक्षण संस्थानो मे शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक व दिव्यांगजन छात्रो से नेशनल स्कालरशिप पोरटल पर आनलाईन आवेदन भरवाना सुनिश्चित करे। जिससे इन छात्रों को छात्रवृति का लाभ मिल सके। और जिन शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी के पास आवेदन लम्बित हैं उनकी जांच शीघ्र अति शीघ्र करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी-कम-जिला नोडल अधिकारी को भिजवायें जिससे आवेदनों की जांच शीघ्र अति शीघ्र हो सके। यदि आनलाईन आवेदन करने मे किसी भी कठनाई का सामना करना पडता है तो जिला नोडल अधिकारी से संपर्क करे। आनलाईन आवेदन करने की प्रकिया साथ सल्गन है।

कृपया इसको अधिमान देवे।

संलग्नः उपरोक्त

उप- निदेशक (आडिट) कम राज्य नोडल अधिकारी
(अल्पसख्यक व दिव्यांग छात्रवृति)
कृतेः निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

F. No. 15/19/2020-SS (Part-2)
Government of India
Ministry of Minority Affairs
***

11th Floor, Deen Dayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003
Dated: 14.10.2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub: **Eligibility criteria for renewal scholarship under the 3 Scholarship Schemes of MoMA on NSP-reg.**

The undersigned is directed to refer to the minutes of the meeting to review progress on NSP held under the Chairmanship of Secretary (Coord) on 30th July, 2020 and inform that in so far as the renewal cases under the 3 Scholarship Schemes of MoMA are concerned (Pre Matric, Post Matric and MCM Schemes), the eligibility criteria of minimum 50% marks stands relaxed for the current academic year in view of the COVID 19 Pandemic and a candidate "passing" the previous final examination will be treated as eligible for the renewal scholarship under these Schemes.

2. NIC may accordingly be requested to make changes in the Portal for the renewal applications received under the 3 Scholarship Schemes of MoMA on the Portal and also flash a message on the Portal intimating the same.

3. The issue with the approval of Secretary (MA).

(Dhruv Chakravarty)
Deputy Secretary (Scholarship)

To,
DBT Mission
Cabinet Secretariat
[Kind Attention: Shri Saurabh K Tiwari, Secretary (DBT)]
4rth Floor, Shivaji Stadium Annexe,
Shaheed Bhagat Singh Marg,
New Delhi 110001.

Copy to:-
Shri Shashi Bhushan Singh,
Deputy Director General,
National Informatics Centre (NIC)
A-Block, C.G.O. Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003

Copy to:

All States/UTs Nodal Officers of implementing Scholarship Schemes for minorities.

15/10/20
US (Scholarships)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

एससीओ सं. 20–27, जीवनदीप भवन, तीसरी मंजिल, सैक्टर–17ए, चण्डीगढ़

छात्रवृति की घोषणा : 2020–21

(मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट – सह – साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2020–21 के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं अर्थात मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट–सह साधन आधारित छात्रवृति के अंतर्गत छात्रवृतियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्व, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागए हरियाणा उपयुक्त योजनाओ के लिये अल्पसख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपयुक्त छात्रवृतियो के लिये आवेदन आमंत्रित करता है

समय –सीमा

1	छात्रों द्वारा मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट – सह – साधन आधारित छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथी	16 अगस्त 2020
2	छात्रों द्वारा मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट – सह – साधन आधारित छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारिख	31 अक्टूबर 2020

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्व, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) मे से किसी एक का विद्यार्थी हो व पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक ना हों।
- वह भारत में सरकारी या निजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अ्ध्ययन किया जा रहा पाठयक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/ कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल वेवसाइट– **www.soholarships.gov.in** (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in) पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप– National Scholarship (NSP) पर छात्रवृति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और 'बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) राष्टीय छात्रवृति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है तथा बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/महाविद्यालयों/ विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/महाविद्यालयों/ विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ रहा है, को अति शीघ्र राष्टीय छात्रवृति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवान चाहिए यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं।

समाधान हेल्पलाइन टोल फी : 1800–11–2001 समय सुबह 9:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुटटी का दिन छोडकर।

निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, HARYANA

SCO No. 20-27, 3rd Floor, Jeevan deep Building, Sector-17 A, Chandigarh

ANNOUNCEMENT OF SCHOLARSHIP: 2020-21

(Pre-Matric, Post –Matric and Merit-cum-Means)

Ministry of Minority Affairs (MoMA), Govt. of India provides an opportunity to the students belonging to six Minority communities notified by the Government of India (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim and Christian) for availing scholarship under three scholarship viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship for the year 2020-21 on National Scholarship Portal. The department of Social Justice & Empowerment Department, Haryana invites application for above scholarship, given b the ministry of Minority Affairs, Government of India for the above schemes.

Timeline

a.	Opening of NSP Portal for Submission of Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application	**16th August, 2020**
b.	Last Date for submission of online application for Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application by students	**31st October,2020**

Eligibility

- The applicant should be a student of the notified minority communities (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim, and Christian) and family income should be as per the norms fixed.
- The applicant should be pursuing studies in India in Government or recognized Private University/Institute/College/School.
- The course being pursued should be of Minimum one year duration.
- The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/ Class examination.

Instruction

For Applicants

- Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the website of National Scholarship Portal at – **www.scholarships.gov.in** (a link to the site is also available at **www.minorityaffairs.gov.in**) or Mobile App- **National Scholarship (NSP)**.
- Detailed 'Instruction' for filling in online application and 'Frequently Asked Question (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicants are advised to give only that bank account details which remains in active mode and is fully compliant as per bank's instructions so that payment of Scholarship does not fail.

For Universities/Institutes/Schools/Colleges

- All Universities/Institutes/Colleges/Schools, where a minority student is studying, should get themselves registered (if not done earlier) on National Scholarship Portal immediately.

For detailed information – Visit the website of Ministry of Minority Affairs, i.e.

www.minorityaffairs.gov.in.

Samadhaan Helpline (Toll Free) - 1800-11-2001 (Timing 9:00 AM to 5:30 PM, Monday to Friday except holidays).

Director
Social Justice &Empowerment Department
Haryana, Chandigarh

Social Justice & Empowerment Department, Haryana
SCO No.- 20-27, Jeevandeep Building, 3rd Floor, Sector-17A, Chandigarh
Web Site:- www.Socialjusticehry.gov.in
E-mail ID:- sje.hry.nic.in
Contact No.- 0172-2715090

SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES (2020-21)

Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, New Delhi is implementing scholarship scheme "Scholarships for Students with Disabilities" for empowerment of Students with Disabilities through education. The brief details of Scholarship scheme are given below:

S. No.	Components	Courses covered	Slots	Parental income ceiling per annum (Rs.)	Rate of scholarship	How to apply
1.	Pre-matric Scholarship for Students with Disabilities	Class IX and X	509	2.50 lakhs	Scholarship of Rs.500 per month for day-scholars and Rs.800 for hostellers plus book and disability allowance ranging from Rs.2000/- to Rs.4000/-.	Apply on-line on National Scholarship Portal (www. scholarships.gov.in). The portal has been opened for Registration from 16th August, 2020 for fresh applications, and renewal cases from 21st August 2020. The last date for registration and submission of online applications is 31st October, 2020.
2.	Post-matric Scholarship for Students with Disabilities	Class XI to Master's Degree or Diploma level	346	2.50 lakhs	There are different rates of maintenance allowance for Post-Graduate, Graduate, Diploma, professional courses leading to degree, diploma etc. in different disciplines. It ranges from Rs.900-1600 per month for hostellers and Rs.550-750 per month for day-scholars plus Tuition fee (maximum ceiling Rs.1.50 lakh per annum), book allowance and disability allowance ranging from Rs.2000/- to Rs.4000/- per annum.	
3.	Scholarship for Top Class Education for Students with Disabilities	Graduate/ Post Graduate Degree or Diploma in 241 notified institutions of excellence	6	6.00 lakhs	Monthly maintenance allowance of Rs.3000/- for hostellers, Rs.1500/- for day-scholars, Rs.2000/- per month disability allowance, book grant Rs.5000/-per annum and tuition fee upto Rs.2 lakh per annum.	

All the above scholarships are applicable to students with disabilities with more than 40% disability and having a proper disability certificate to this effect issued by a competent medical authority. Disability is as defined in Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

For further details about the scholarship schemes, please visit: www.disabilityaffairs.gov.in.

Director

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
एस0सी0ओ0 नं0 20–27, जीवन दीप, भवन, सैक्टर–17A, चंडीगढ
दूरभाष नं0 172–2715090
वैबसाईटः– www.socialjusticehry.gov.in
ई–मेल sje@hry.nic.in

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां (2020–21)

दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों का सशक्तिकरण करने के लिए छात्रवृत्ति योजना "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" चलाई गई है। छात्रवृत्ति योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैं :

क्र. सं.	योजना	शामिल पाठ्यक्रम	लक्ष्य	अभिभावकीय वार्षिक आय सीमा (रू.)	छात्रवृत्तियों की दर	कैसे आवेदन करें
1	दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि–मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा 9 वीं और 10 वीं	509	2.50 लाख	दिवा छात्रों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं होस्टल के छात्रों लिए 800 रू. व पुस्तक एवं दिव्यांगता भत्ता 2000 रू. से 4000 रू. तक प्रतिवर्ष।	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर (**www.scholarships.gov.in**) आनलाइन आवेदन करें। पोर्टल 16 अगस्त, 2020 नये आवेदन व 21 अगस्त, 2020 से नवीकरण आवेदन के लिये खुल गया है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण और जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2020 है।
2	दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री / डिप्लोमा	346	2.50 लाख	विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, डिग्री/डिप्लोमा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि में रखरखाव भत्ते की भिन्न–भिन्न दरें हैं। आवासीय छात्रों के लिए 900–1600 रू. प्रतिमाह तथा गैर आवासीय छात्रों के लिए 550–700 रू. प्रतिमाह की दर के साथ–साथ ट्यूशन फीस (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रू. प्रतिवर्ष), पुस्तक भत्ता व दिव्यांग भत्ता 2000 रू. से 4000 रू. तक प्रतिवर्ष ।	
3	दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति	स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्कृष्टता के 241 अधिसूचित संस्थानों से	6	6.00 लाख	आवासीय छात्रों हेतु 3,000 रू. का रख रखाव भत्ता, गैर आवासीय छात्रों हेतु 1,500 रू. प्रतिमाह रख रखाव भत्ता, 2000 रू. दिव्यांगता भत्ता, पुस्तक अनुदान 5,000 रू. प्रतिवर्ष और 2.00 लाख रू. तक ट्यूशन फीस प्रतिवर्ष।	

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों/छात्राओं पर लागू हैं तथा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस आशय का 'दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। दिव्यांगता, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाषित है।
कृपया छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वैबसाइट **www.disabilityaffairs.gov.in.** देखें।

निदेशक

Endst. No.: Sch./S-IV/20/2650-2699 Dated: 02.11.2020

Copy of the pages 1 to 6 is forwarded to the following for wide publicity amongst the students.

1. All the Chairpersons/Directors of University Teaching Departments/Institutes.
2. The Head, IT Cell, KUK with the request to upload the scheme on the University website

Kumar 2/11/20
Assistant Registrar
Accounts Branch-1